न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

	फर्द अहकाम
11/11/24	उनवानः— महेश बनाम रामरूप पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित मद न0 1 ता 7 सायल के के पिता रामरूप व गैरसायल न0 1 की दादी नाराणी को विरासत से प्राप्त आराजी है जो उनको सायल के दादा व गैरसायल न0 1 के पिता हुक्मी से प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2056–59 मे सायल के दादा हुक्मी के हक मे दर्ज रिकार्ड है। हुक्मी की मृत्यु के बाद सायल की दादी नाराणी व सायल के पिता गैरसायल न0 1 रामरूप का नाम जरिये विरासत नामांतकरण दर्ज हुआ है। वर्णित आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है। सायल भूमि मे अपने हिस्सानुसार ही आराजी पर बुजुर्गो के समय से आज दिन तक काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिये सायल वर्णित आराजीयात मद न0 2 ता 7 मे अपने हिस्से 1/54, 1/9, 1/18, 1/36, 23/210, 1/6 की खातेदारी कराने का अधिकारी है। इसलिये दिनांक 04.02.2021 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे। गैरसायल न0 1 व 2 के वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि गैरसायलान गरीब एवं असहाय व वृद्व है जबकि सायल एक नोकरी पेशा है सायल को पढाने लिखाने व नौकरी लगाने मे गैरसायलान के उपर काफी कर्जा हो गया। सायल से उक्त कर्जे को चुकाने की कहते है तो वह कर्जे को भी नही देता है नाही मा बाप के खर्चे को वहन करता है। बल्कि गाली गलौच करता है तथा संगीन मुकदमे मे फसाने की धमकी देता है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया, पत्रावली मे शामिल ग्राम टोडाभीम 9 बिस्वा की जमाबन्दी सम्वत 2056–59 के खाता न0 202, 201, 199, 197, 227, 48, 259, 372, 373, 374, 293 मे सायल के बुजुर्ग व गैरसायल न0 1 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड है, प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात सायल व गैरसायलान को विरासत मे प्राप्त हुई है। सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे साथ प्रस्तुत दावा घोषणा खातेदारी व तकास्मा का पेश किया है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि दौराने वाद बेचान होने से सायल को अपूर्तनय क्षति साबित होने की संभावना है अतः सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष मे साबित होता है, इसलिये वादपत्र के न्यायोचित निस्तारण के लिए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। आदेश अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.02.2021 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायल न0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता ग्राम टोडाभीम की जमाबन्दी सम्वत 2056–59 के खाता न0 202, 201, 199, 197, 227, 48, 259, 372, 373, 374, 293 मे सायल के वहन व्यय नही करे। निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को मेरे द्वारा न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे के साथ सलग्न रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:55:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner